न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

सरकार बनाम भीरा उर्फ दलजीत सिंह

फौजदारी वाद सं०–1355/19
मु०अ०सं०–02/05
धारा–4/25 A Act
थाना–सिंगाही, जिला–खीरी।

17.01.2020

पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली अभियुक्त की मृत्यु आख्या वास्ते नियत है। कार्यालय आख्यानुसार प्रस्तुत फौजदारी वाद में अभियुक्त भीरा उर्फ दलजीत सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी ग्राम खखरौला पोस्ट इन्दरानगर थाना तिकुनिआं जिला खीरी वांछित है तथा न्यायालय से उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट प्रेषित किये जा चुके है, जिस पर उसकी मृत्यु के सम्बन्ध थाने से आख्या आ चुकी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है, कि मु०अ०सं०–02/05, अं० धारा–4/25 A Act, थाना सिंगाही, जिला खीरी के मामले में अभियुक्त भीरा उर्फ दलजीत सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने हेतु उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया, जिस पर सम्बन्धित थाना तिकुनियां द्वारा यह आख्या पृष्टांकित कि गई कि अभियुक्त भीरा उर्फ दलजीत सिंह की मृत्यु लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है, तहरीर मय मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त मृत्यु रिपोर्ट के सम्बन्ध में थाना तिकुनियां के पैरोकार कां० गिरीशपाल का बयान सी०डब्लू–01 दिनांक 17.01.2020 को अंकित किया गया "कि न्यायालय द्वारा जारी गैर–जमानतीय अधिपत्र की तामीला एस०आई० महताब सिंह द्वारा कि गई थी उन्होंने अपनी आख्या में अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु लगभग दो वर्ष वर्ष पूर्व होना बताया है, तथा आख्या के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सूरतनगर वि०ख० निघासन, संलग्न किया गया है। वारण्ट के पृष्ठ भाग पर लगी रिपोर्ट एस०आई० महताब सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसको थानाध्यक्ष तिकुनियां द्वारा अग्रसारित किया गया है। जिसको मैं तस्दीक करता हूं यही मेरा बयान है" अतः उपरोक्त आख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है, चूकि प्रस्तुत फौजदारी वाद में भीरा उर्फ दलजीत सिंह के अतिरिक्त और कोई अभियुक्त नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त भीरा उर्फ दलजीत सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी ग्राम खखरौला पोस्ट इन्दरानगर थाना सिंगाही जिला खीरी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
लखीमपुर खीरी